बिहार विधान-सभा वादवृद

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग —१ कार्यवाही प्रश्नोत्तर।)

शुक्रवार, तिथि २१ दिसम्बर, १९७३ ई०

विषय-सूचि

		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—सभा नियमावली के नियम ४ (२) के परन्तुक के अनुसार		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—प्रश्नों के लिखित उत्तर को सभा की मेज पर रखा जाना।	....	१
अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या—१, २ एवं १९।	....	१
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—३, ४, १४४, ५१६, ५१७, ५१८, ५१९, ५२०, ५२१, ५२२, ५२३, ५२४, ५२५ से ५२८ तक, ५३० से ५३३ तक, ५३६, ५४६, ५४८, ६१७, ६४३, ९४४, ९४५, ९४६, ९४७, ९४८, ९४९, ९५९, ९६३ एवं ९८१।	....	१५
परिशिष्ठ १ (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :—	....	१४१
परिशिष्ठ—२ अनागत अ० सू० प्रश्नों के उत्तर।	....	१९५
दैनिक निबंध	....	१०७

उपाध्यक्ष—इसको मैं व्यवस्था नहीं मानता हूँ मगर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसके बारे में मंत्री जी जवाब देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। जो जंगल में रहते हैं, जिनका घर जंगल में है उनको आप वन क्षेत्र बना दीजियेगा कि उनको आप रहने दीजियेगा ?

श्री करमचन्द भगत—उपाध्यक्ष महोदय—

(इस अवसर पर सदन में एक ही बार कई सदस्य खड़े होकर बोलने लगे जिससे सुनाई नहीं पड़ा)

श्री नन्द किशोर प्रसाद सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, हजारों हजार एकड़ जमीन बड़े बड़े जमींदारों से रुपया लेकर निकाल दिया गया है खेती के नाम पर और गरीब लोगों को नहीं दिया गया है।

श्री करमचन्द भगत—उपाध्यक्ष महोदय, इस पर पुनः विचार किया जायगा। एक फोरेस्ट ऐडवायजरी कमिटी बनायी गयी है जिसमें डा० बसंत नारायण सिंह भी सदस्य हैं जो नीति निर्धारित होगी वैसा किया जायगा।

(बहुत सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

उपाध्यक्ष—मंत्री ने कहा कि इस पर पुनः विचार किया जायगा अतः इस पर आगे विमर्श नहीं होनी चाहिए। माननीय सदस्य बैठ जांय।

———

श्री बेसरा की नियुक्ति

५१७। श्री टीका राम मांझी—क्या मन्त्री, वन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि सिंहभूम जिलान्तर्गत धालभूम वन-प्रमंडल पदाधिकारी के आदेश संख्या १७८, दिनांक २६ मई, १९७३ के अनुसार श्री रघु बेसरा, ग्राम बाघडीहा, थाना चकुलिया, जिला सिंहभूम को गुड़ाबन्दा बीट के पहाड़पुर सब-बीट में वन-रक्षक के पद पर बहाल किया गया था;

(२) क्या यह बात सही है कि श्री बेसरा को उपर्युक्त वन प्रमण्डल पदा-

धिकारी के आदेश संख्या ३२६, दिनांक ३० जुलाई १९७३ द्वारा बिना कारण के कार्य विरमित कर दिया गया है;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार श्री बेसरा को पुनः उक्त काम में अविलम्ब बहाली करने का कोई विचार रखती है; यदि नहीं, तो क्यों ?

प्रभारी मन्त्री, वन विभाग—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है। श्री बेसरा की नियुक्ति बिल्कुल ही अस्थायी रूप से वनरक्षी के पद पर की गयी थी। नियुक्ति आदेश में यह शर्त्त था कि बिना सूचना के किसी समय उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(२) यह बात सही है कि वनरक्षी की सेवा वन-प्रमंडल पदाधिकारी, धालभूम के आदेश संख्या ३२६, दिनांक ३० जुलाई १९७३ द्वारा नियुक्ति की शर्त्तों के अनुसार समाप्त कर दी गयी है उनकी नियुक्ति ही बिल्कुल अस्थायी रूप से हुई थी।

(३) धालभूम वन प्रमण्डल में जब वनरक्षियों के पद रिक्त होंगे तो अन्य छटनीग्रस्त वनरक्षियों में इनकी वरीयता आने पर इनकी नियुक्ति के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

वन-रक्षकों की सेवा से मुअत्तली

५१८। **श्री टीका राम मांझी**—क्या मन्त्री, वन विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

सिंहभूम जिलान्तर्गत धालभूम वन-प्रमंडल के लिये जनवरी, १९७२ से सितम्बर, १९७३ तक के अन्दर किन-किन वन-रक्षकों (Forest Guards) की बहाली हुई थी एवं उनमें किन-किन वन-रक्षकों की सेवा को विरमित अथवा मुअत्तल किया गया है ?

प्रभारी मन्त्री, वन विभाग—धालभूम वन प्रमण्डल में १ जनवरी, १९-७२ से ३० सितम्बर, १९७३ तक ४६ वनरक्षियों की नियुक्ति की गयी जिनकी सूची संलग्न है। इनमें से (क्रमांक १० से ४६ तक) ३७ वनरक्षियों की नियुक्ति